ANNEXURE : III

सुपुर्दनामा

आज दिनांक 14/6/2012 को मौखिक आदेश श्रीमान आयुक्त महोदय नगर परिषद किशनगढ़ के हमराह नगर परिषद पटवारी घनश्यामसिंह एवं अन्य के साथ राजस्व ग्राम मदनगंज के ख.नं. 442, 443 पर पहुँचे। जहाँ पर ख.नं. 442 रकबा 00-12-00 एवं ख.नं. 443 रकबा 37-07-00 कुल रकबा 37-19-00 भूमि का मौके रूप से कब्जा ट्रस्टी श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी फाउंडेशन मदनगंज किशनगढ़ के निम्न हस्ताक्षरकर्ता को सम्भलाया गया।

हस्ताक्षर कब्जा देने वाले

हस्ताक्षर कब्जा लेनेवाले

(1) पटवारी नगर परिषद

[signature] आयुक्त नगर परिषद किशनगढ़

(2) [signature]

ट्रस्टी

श्री रतन लाल कंवरलाल पाटनी फाउन्डेशन

[signature]

आयुक्त

नगर परिषद किशनगढ़

True Copy

[signature]

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

Shri Ratanlal Kanwarlal Patni Foundation
Secretary
Kishangarh

Shri Ratanlal Kanwarlal Patni Foundation
Secretary
Kishangarh

PRINCIPAL
Shri Ratanlal Kanwarlal Patni Girls' College
Kishangarh, Ajmer - 305801

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पांच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

B 369096

परिशिष्ट "जी"

(आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन)

नगर परिषद् किशनगढ़ (राजस्थान)

शाश्वत लीज

(99 वर्षीय लीज आधार पर)

यह करार एक पक्षकार के रूप में राजस्थान के राज्यपाल (जिन्हें इसमें आगे "पट्टाकर्ता" कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में **ट्रस्टी श्री रतनलाल कंवर लाल पाटनी फाउण्डेशन मदनगंज किशनगढ़** (जिसे इसमें आगे "पट्टेदार" कहा गया है) के बीच आज तारीख 14/06/2012 को किया गया।

अतः पट्टेदार ने पट्टाकर्ता को इसमें आगे वर्णित भूखण्ड जो पट्टाकर्ता का है पर पट्टा देने के लिये आवेदन किया है इस पर स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर के पत्र क्रमांक भूमि/ एफ 7 (ह)/(165)/डीएलबी/11/1395 दिनांक 16.03.12 के द्वारा श्री रतनलाल कंवर लाल पाटनी फाउण्डेशन को महिला महाविद्यालय निर्माण हेतु खसरा नम्बर 442 रकबा 12 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 443 रकबा 37 बीघा 07 बिस्वा कुल 37 बीघा 19 बिस्वा भूमि 99 वर्षीय लीज पर नियमानुसार रेट अरबन असेसमेन्ट पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एवं जारी नीति दिनांक .... के प्रावधानों के तहत निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं स्वायत्त शासन विभाग के पत्रांक भूमि/एफ7 (ह)/ (165)/ डीएलबी /11/4017 दिनांक 13.06.12 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि चूंकि श्री

आयुक्त
नगर परिषद् किशनगढ़ (अजमेर)

सभापति
नगर परिषद्, किशनगढ़ (अजमेर)

उप पंजीयक
किशनगढ़ (अजमेर)

PRINCIPAL
Shri Ratanlal Kanwarlal Patni Girls' College
Kishangarh, Ajmer - 305801

सत्य प्रतिलिपि

मूल प्रति से मिलान किया गया

नाम मुद्रांक विक्रेता : राजकुमार जैन अनुज्ञा पत्र संख्या : 55/03
रजिस्टर क्रम संख्या : 1126 दिनांक 13.06.12 मुद्रांक वैल्यू 500 क्रम संख्या 369096
मुद्रांक क्रेता का नाम : श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी फाउण्डेशन, मदनगंज किशनगढ़
प्रयोजन : लीजडीड़
(हस्ते द्रव्य की दशा में हस्ते का नाम पता : श्रेयांश जैन पुत्र श्री सुभाषचन्द जैन
जैन कॉलोनी, मदनगंज किशनगढ़
D/L: RJ-01/DLC/2002/16091

क्रेता/हस्ते के हस्ताक्षर : .... मुद्रांक विक्रेता के हस्ताक्षर ....

PRINCIPAL
Shri Ratanlal Kanwarlal Patni Girls' College
Kishangarh, Ajmer - 305801

Shri Ratanlal Kanwarlal ... Foundation
Secretary
Kishangarh

रतनलाल कंवर लाल पाटनी फाउण्डेशन को भूमि का आवंटन निःशुल्क किया गया है। अतः भूमि आवंटन के क्रम में जारी नीति के उक्त प्रावधानों के परिपेक्ष्य में कोई राशि देय नहीं बनती है और पट्टाकर्ता ने पट्टेदार द्वारा किये गये कथनों अभिव्यक्तियों का विश्वास करते उक्त आवंटन स्वीकार कर लिया है और इसमें आगे बताई गई रीति में पट्टेदार को उक्त भू-खण्ड का पट्टान्तरण करने को सहमत हो गया है .

अतः यह दस्तावेज इस बात का साक्षी है कि इस विलेख के निष्पादन से पूर्व प्रीमियम के लिये संदत्त रुपये निःशुल्क के (जिसकी प्राप्ति पट्टाकर्ता इसके द्वारा अभिस्वीकार करता है) इसमें आगे आरक्षित किराये के और इसमें आगे दी हुई पट्टेदार की ओर से की गई प्रसंविदाओं के प्रतिफलस्वरूप पट्टाकर्ता, पट्टेदार को इसके द्वारा वह सम्पूर्ण भूखण्ड पट्टान्तरित करता है जो राजस्व ग्राम मदनगंज में स्थित है खसरा नम्बर 442 रकबा 12 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 443 रकबा 37 बीघा 07 बिस्वा कुल 37 बीघा 19 बिस्वा या इसके लगभग है और अजमेर रोड मदनगंज में स्थित है। इस भू-खण्ड का विस्तृत वर्णन इसमें नीचे लिखी अनुसूची में किया गया है। अधिक स्पष्टता के लिये उसकी सीमायें इस विलेख में संलग्न नक्शे में लाल रंग से बनाई गई हैं और उसमें लाल रंग भरा गया है । (जिसे इसमें आगे भूखण्ड कहा गया है।) पट्टेकर्ता उसके सभी अधिकारों, सुखाचारों और अनुलग्नकों सहित जो, उक्त भूखण्ड के परिसर के कब्जे से संबंधित हो, तारीख 14.06.2012 से 99 वर्ष के लिये पट्टेदार को पट्टान्तरित करता है। यह पट्टान्तरण इस शर्त पर किया गया है कि पट्टादार तारीख Nil तक वार्षिक भूमि किराये के रूप में रुपये Nil का अग्रिम संदेय होगा। संदाय करेगा और उसके पश्चात् प्रीमियम (पहले ही भुगतान की राशि और जो इसमें अन्तर्विष्ट प्रसंविदाओं और शर्तों के अधीन प्रीमियम की और संदेय हो, ऐसी अन्य राशि या राशियां) के पांच प्रतिशत की दर प्रति वर्ष 15 जनवरी और 15 जुलाई को समान अर्द्धवार्षिक किस्तों में ऐसे स्थान पर जो पट्टाकर्ता द्वारा समय-समय पर इस प्रयोजनार्थ अधिसूचित किया जावे, संदाय करेगा। ऐसा प्रथम संदाय माह Nil दो हजार Nil की पन्द्रह तारीख को किया जायेगा और इस लीज के शुरू होने की तारीख से अन्तिम तारीख वर्णित तारीख तक के किराये की रकम रुपये Nil का इस संदाय इन विलेखों के निष्पादन से पूर्व किया जा चुका है ।

यह सपंदा कि इसमें आगे अन्तर्विष्ट अपवादों, आरक्षणों, प्रसंविदाओं और शर्तों के जो निम्न प्रकार है, के अध्यधीन है, अर्थात –

I. पट्टाकर्ता, भूखण्ड में या उसके नीचे की समस्त खानों, खनिजों, कोयलों, गोल्ड वाशिंग, भू-तेल, खदानों और हमेशा समस्त ऐसे कार्य और चीजें जो इनकी तलाशी करने, इसके लिये कार्य करने, इन्हें प्राप्त करने, हटाने और इसका उपभोग करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक

आयुक्त
नगर परिषद किशनगढ़

सभापति
नगर परिषद किशनगढ़

(2) श्री पाटनी

पक्षकार प्रतिनिधि

उप पंजीयक किशनगढ़

मूल प्रति से मिलान किया गया

वक्ता

श्रोता

PRINCIPAL
Shri Ratanlal Kanwarlal Patni Girls' College
Kishangarh, Ajmer - 305801

Secretary
Kishangarh

आज दिनांक 14 माह June सन् 2012 को 15:08 बजे
श्री / श्रीमती / सुश्री SURESH PATANI पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री KANWAR LAL PATANI
उम्र 54 वर्ष, जाति JAIN व्यवसाय BUSS
निवासी R. K. HOUSE MADANGANJ KISHANGARH
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2012006313)
LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

हस्ताक्षर उप पंजीयक, KISHANGARH

रसीद नं0 2012005028 दिनांक 14/06/2012
पंजीयन शुल्क रू0 0/-
प्रतिलिपि शुल्क रू0 200/-
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0/-
अन्य शुल्क रू0 1000/-
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 0/-
कुल योग रू0 1200/-

(2012006313) उप पंजीयक, KISHANGARH
(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

मैंने पूर्णतया संतोष कर लिया है कि
इस लेखपत्र को श्री COMMSSIONER
के द्वारा अपने सरकारी रूप से निष्पादित
किया है। उन्हें उपस्थिति एवं हस्ताक्षरों
से दृष्टिक्षेप किया जाता है तथा इस लेखपत्र
को पंजीयन के लिए स्वीकृत किया जाता है।

(2012006313))
(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA)) उप पंजीयक, KISHANGARH

PRINCIPAL
Shri Ratanlal Kanwarlal Patni Girls' College
Kishangarh, Ajmer - 305801

सत्य प्रतिलिपि

उप पंजीयक किशनगढ़

मूल प्रति से मिलान किया गया

और समीचीन हो भूखण्ड की सतह या उस पर तत्समय बने किसी भवन के लिये कोई उचित सहारा छोड़े बिना या छोड़े बिना करने के सारे अधिकार और शक्तियां उनके लिये छोड़ता है और आरक्षित रखता है परन्तु पट्टाकर्ता इसके द्वारा आरक्षित या उनमें से किसी अधिकार का प्रयोग करने से हुए समस्त सीधी हानि के लिये पट्टेदार को उचित मुआवजा देगा।

II. पट्टेदार स्वयं अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और समनुदेशितियों के लिये पट्टाकर्ता से निम्नलिखित रीति से प्रसंविदाएं करता है, अर्थात :-

1 पट्टेदार ऐसी समय के अन्दर और ऐसी अतिरिक्त राशि या राशियों का भुगतान करेगा, जो भूमि आवाप्ति कलेक्टर द्वारा अधिनिर्णित ऐसे प्रतिकर के फलस्वरूप जो निर्देश पर या अपील में या दोनों में बढ़ा दिया गया हो, पट्टाकर्ता द्वारा विनिश्चित किया जाये और इस निमित्त पट्टेकर्ता का विनिश्चय अन्तिम और पट्टेदार पर बाध्यकारी होगा।

इसके द्वारा आरक्षित प्रीमियम के पांच प्रतिशत के वार्षिक किराये की संगणना, इन विलेखों के निष्पादन से पूर्व पट्टाकर्ता द्वारा प्रीमियम के रूप में प्राप्त राशि पर और प्रीमियम के रूप में संदेय ऐसी अतिरिक्त राशि या राशियों पर, जिसका कि इसमें उपबंध किया गया है, तारीख Nil से की जावेगी।

2 पट्टेदार पट्टेकर्ता का इसके द्वारा आरक्षित वार्षिक किराये का संदाय इसमें पहले नियत दिवसों पर और उसी प्रकार से करेगा।

3- पट्टेदार के आवंटन नक्शों से किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होगा और न ही भूखण्ड के आकार में, उपविभाजन, समामेलन द्वारा या अन्यथा परिवर्तन करेगा।

4- पट्टेदार, उचित नगर पालिका या अन्य प्राधिकरण से, स्वयं के खर्च पर आवश्यक डिजाईनों, नक्शे और विनिर्दिष्टों सहित भवन के नक्शों की मंजूरी प्राप्त करके तारीख 14/06/2012 से रियायती दर पर भूमि आवंटन नीति के प्रावधानों के अनुसार समय अवधि के अन्दर और इस प्रकार विनिर्दिष्ट समय संविदा का मर्म होगा/ भूखण्ड पर परिनिर्माण करेगा और भवन को मंजूरशुदा नक्शे के अनुसार उक्त नगर पालिका या अन्य प्राधिकरण के समाधान हेतु आवश्यक और समुचित दीवारों, मल नालियों और नालियों तथा अन्य सुविधाओं सहित प्रअनुमोदित उपयोग के लिये पर्याप्त और कर्मकार जैसी रीति में भवन तैयार करेगा।

5 पट्टेदार उक्त भूखण्ड के कब्जे का पूर्णतः या अंशतः विक्रय, अन्तरण या समनुदेशन नहीं करेगा या अन्यथा पृथक नहीं करेगा।

आयुक्त
नगर परिषद किशनगढ़

सभापति
नगर परिषद किशनगढ़

सत्य प्रतिलिपि
उप पंजीयक किशनगढ़

मूल प्रति से मिलान किया गया

PRINCIPAL
Shri Ratanlal Kanwarlal Patni Girls' College
Kishangarh, Ajmer - 305801

Secretary

हस्ताक्षर फोटो अंगूठा

उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant)
1 SURESH PATANI DHR T. RATAN LAL KANWAR LAL PATNI/KANWAR LAL PATANI
Age 54 Caste-JAIN
Ocu.-BUSS
R/O R. K. HOUSE MADANGANJ KISHANGARH

(And Claimant)
1 COMMISSIONER /NA
Age 0. Caste-
Ocu
R/O NAGAR PARISHAD KISHANGARH

ने लेखपत्र LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू0 ---- पूर्व में / मेरे समक्ष / में री रू0 ---- पूर्व में ---- उनके समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1. श्री / श्रीमती / सुश्री ABHISHEK GARG
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री OM PRAKASH उम्र 35 वर्ष
जाति AGARWAL व्यवसाय SERVICE
निवासी VIDHYA SAGAR COLONY KISHANGARH

2. श्री / श्रीमती / सुश्री SUBHASH AGARWAL
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री MAGTURAM JI उम्र 45 वर्ष
जाति AGARWAL व्यवसाय SERVICE
निवासी R K COLONY KISHANGARH ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एवं अंगूठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें है।

(2012006510) उप पंजीयक, KISHANGARH
(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

सत्य प्रतिलिपि

मूल प्रति से मिलान किया गया

वक्ता श्रोता

Secretary
Shri Ratanlal Kanwarlal Patni Foundation
Kishangarh

PRINCIPAL
Shri Ratanlal Kanwarlal Patni Girls' College
Kishangarh, Ajmer - 305801

6– जब कभी भी उक्त भूखण्ड में पट्टेदार का स्वत्व किसी भी रीति से अन्तरित हो जाये तो अन्तरिती इसमें अन्तर्निष्ट समस्त प्रसंविदाओं और शर्तों से आबद्ध होगा और उसके लिए हर प्रकार से उत्तरदायी होगा।

7– जब कभी भी उक्त भूखण्ड पट्टेदार का स्वत्व किसी भी रीति से अन्तरित हो जाये तो अन्तरणकर्ता और अन्तरिती अन्तरण के तीन मास के भीतर पट्टाकर्ता को ऐसे अन्तरण की लिखित में सूचना देगा। पट्टेदार की मृत्यु की दशा में, वह व्यक्ति जिसे मृतक का स्वत्व न्यागत हो, न्यागमन के तीन मास के भीतर पट्टाकर्ता को ऐसे न्यागमन की सूचना देगा।

अन्तरिती या वह व्यक्ति, जिसे स्वत्व न्यागत हो, यथा स्थिति पट्टाकर्ता को अन्तरण या न्यागमन का साक्ष्य देने वाले निर्णय/ विलेखों की प्रमाणित प्रतियां देगा।

8– पट्टेदार समय–समय पर और हमेशा ऐसी समस्त दरों, करों, प्रभारों और हर प्रकार के निर्धारणों का भुगतान और उन्मोचन करेगा और जो अभी या इसके पश्चात् इस लीज के जारी रहने के दौरान किसी भी समय इसके द्वारा पट्टान्तरित भू–खण्ड पर या उस पर परिनिर्मित किसी भी भवन पर या इससे सम्बन्धित किसी भू–स्वामी या किरायेदार पर निर्धारित प्रभारित या अधिरोपित किया जाये।

09– इसके द्वारा पट्टान्तरित भू खण्ड के सम्बन्ध में देय किराये और अन्य संदाय के समस्त बकाया उसी रीति में जिससे भू–खण्ड राजस्व बकाया वसूल किया जाता है वसूलीय होंगे।

10– पट्टेदार समुचित नगरपालिका या तत्समय प्रदत्त अन्य प्राधिकरण के भवन, नाली और अन्य उप नियमों का हर प्रकार अनुपालन करेगा और उनसे आबद्ध होगा।

11– पट्टेदार समुचित नगरपालिका या अन्य प्राधिकरण की लिखित मंजूरी या अनुज्ञा के बिना उक्त भू–खण्ड पर कोई भवन निर्मित नहीं करेगा या ऐसे भवन में कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं करेगा।

12– पट्टेदार पट्टाकर्ता की लिखित सहमति के बिना उक्त भू–खण्ड पर या उन पर के किसी भी भवन का किसी भी अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग करने की अनुज्ञा नहीं देगा अथवा .... से या ऐसे अन्य प्रयोजनों जो राज्यपाल द्वारा समय–2 पर मंजूर किये जावे से भिन्न किसी भी प्रयोजनार्थ उसका उपयोग नहीं करेगा या उपयोग करने की अनुज्ञा नहीं देगा अथवा उसमें कोई ऐसा कार्य जो कुछ भी हो नहीं करेगा या करने नहीं देगा जिससे पट्टाकर्ता की राय में पट्टाकर्ता और पड़ौस में रहने वाले व्यक्तियों के लिये अनुभारा, क्षोभ या विघ्न हो। परन्तु यदि पट्टेदार उक्त भू–खण्ड या उस पर नये भवन का उपयोग उससे या सहमत जिसको

PRINCIPAL
Shri Ratanlal Kanwarlal Patni Girls' College
Kishangarh, Ajmer - 305801

आयुक्त
नगर परिषद किशनगढ़

सभापति
नगर परिषद किशनगढ़

ए— उस भंग को विशेष्ट दी हो जिसके बारे में शिकायत की गई हो, और

बी— यदि भंग उपचार योग्य है तो पट्टेदार से उस भंग का उपचार करने की अपेक्षा की गई हो

और पट्टेदार सूचना में यथा वर्णित उचित समय के भीतर उस भंग का यदि उपचार के योग्य है, तो उपचार करने में असफल हुआ हो और समपहरण या पुनः प्रवेश की दशा में, पट्टाकर्ता स्वविवेकानुसार ऐसे निबंधो और शर्तों पर जो वह उपयुक्त समझे उस समपहरण के विरूद्ध राहत दे सकेगा।

इस खण्ड की कोई बात समपहरण या पुनः प्रवेश कर निम्न लिखे हेतु पर लागू नहीं होगी

अ— उपविभाजन या समामेलन उपबंधित समय के भीतर भवन के परिनिर्माण और पूर्ण करने और भू खण्ड के अन्तरण जैसा कि खण्ड II में उल्लेख है, से संबंधित प्रसंविदाओं और शर्तों के भंग के लिये, या

ब— उस दशा में जब यह लीज किसी तथ्य को छुपाने, अशुद्ध कथन, दुर्व्यपदेशन या कपट से प्राप्त की गई हो;

V. इसके द्वारा आरक्षित किराये में 1 जनवरी, 20 के उसके पश्चात् 15 वर्ष की प्रत्येक उत्तरवर्ती कालावधि के अन्त में बढ़ाया जायेगा परन्तु नियत किराये में वृद्धि प्रत्येक वृद्धि पर हर बार, भुगतान वार्षिक किराये के 22 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

VI. इन विलेखों के अधीन या उनके संबंध में (सिवाय ऐसे मामलों के जिनके विनिश्चय का इन विलेखों द्वारा विनिर्दिष्टतः उपबंध किया गया है) कोई प्रश्न, विवाद या मतभेद उत्पन्न होने की दशा में उसे राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के एकल मध्यस्थ के लिये निर्दिष्ट किया जायेगा। यह आक्षेप नहीं होगा कि मध्यस्थ एक सरकारी कर्मचारी है और यह कि उसे उन मामलों पर विचार करना पड़ता है जिनसे लीज संबंधित है या यह कि उसको सरकारी कर्मचारी के रूप में ड्यूटी के दौरान वह विवादग्रस्त या मतभेद के समस्त या किन्हीं मामलों पर विचार व्यक्त कर चुका है। मध्यस्थ का पंचाट अन्तिम और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थ पक्षकारों की सहमति से पंचाट करने और प्रकाशित करने की कालावधि समय–समय पर बढ़ा सकता है।

उपर्युक्त के अध्यधीन पंचाट अधिनियम 1940 और उसके अधीन उस समय प्रवृत्त नियम तथा उसमें कोई उपान्तरण, इस खण्ड के अन्तर्गत मध्यस्थम कार्यवाहियों पर प्रवृत्त समझे जायेंगे।

आयुक्त
नगर परिषद किशनगढ

(20)

शुभमाला पारनी
सभापति
नगर परिषद किशनगढ

उप पंजीयक
किशनगढ (अजमेर)

मूल प्रति से मिलान किया गया

नक्शा Kiy मौता

सत्य प्रतिलिपि
उप पंजीयक किशनगढ

PRINCIPAL
Shri Ratanlal Kanwarlal Patni Girls' College
Kishangarh, Ajmer - 305801

VII. इस लीज के अधीन दिये जाने योग्य समस्त नोटिस, आदेश, निर्देश, सहमतियां या मंजूरी लिखित रूप में होंगे और उन पर ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे राज्यपाल द्वारा प्राधिकृत किया जावे हस्ताक्षर किये जावेंगे और उन्हें पट्टेदार या भूखण्ड पर किसी अधिकार का दावा करने वाले किसी व्यक्ति पर सम्यक रूप से तामिल हुआ समझा जायेगा यदि वे भूखण्ड पर बने किसी भवन या परिनिर्माण चाहे अस्थाई या अन्यथा पर चिपका दिया जावेगा या पट्टेदार अथवा ऐसे व्यक्ति के तत्कालीन निवास स्थान, कार्यालय या कारोबार के स्थान पर या सामान्य या अंतिम ज्ञात निवास स्थान, कार्यालय या कारोबार के स्थान पर परिदत्त कर दिया जायेगा या डाक द्वारा भेज दिया जावे।

VIII.(a) इस लीज के अधीन पट्टाकर्ता द्वारा प्रयोग किये जाने योग्य समस्त शक्तियों का राज्यपाल द्वारा भी प्रयोग किया जा सकता है। पट्टाकर्ता उसे इस लीज के अधीन प्रयोग किये जाने योग्य समस्त या किन्ही शक्तियों का प्रयोग करने के लिये किसी अन्य अधिकारी या अधिकारियों को भी प्राधिकृत कर सकता है।

VIII.(b) राज्यपाल उपर उपखण्ड (ए) के आधार पर पट्टेदारी द्वारा प्रयोग किये जाने वाले योग्य पट्टाकर्ता की शक्तियों के सिवाय ऐसी सब या किन्ही शक्तियों पट्टाकर्ता द्वारा इस लीज के अधीन प्रयोग करने के लिये वह सशक्त है का प्रयोग करने के लिये जिला अधिकारी या अन्य अधिकारियों को भी प्राधिकृत कर सकता है।

IX. इस लीज में शब्द "राज्यपाल" से राजस्थान का राज्यपाल अभिप्रेत है। इस शब्द में ऐसा अधिकारी जो इस लीज के अधीन राज्यपाल के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये पट्टाकर्ता द्वारा पदाभिहित किया जावे, भी सम्मिलित होगा।

X. इसमें पूर्व में प्रयुक्त शब्दों "पट्टाकर्ता" और पट्टेदार में जहां सन्दर्भ में ऐसा स्वीकार हो, पट्टाकर्ता के मामले में उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिति तथा पट्टेदार के मामलों में उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक या विधिक प्रतिनिधि और वह या वे व्यक्ति जिनमें इसके द्वारा सर्जित लीज होल्ड हित तत्समय समनुदेश द्वारा अन्यथा निहित किया जायेगा, सम्मिलित होंगे।

XI. यह लीज गवर्मेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 (अधिनियम संख्या 11 सन् 1895) के अधीन दी गई है।

XII. पट्टेदार राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में वर्णित समस्त प्रावधानों की पालना करने हेतु बाध्य होगा।

XIII. पट्टेदार रियायती दर पर आवंटन के संबंध में जारी नीति 19.04.2011 में वर्णित समस्त प्रावधान की पालना करने हेतु बाध्य रहेगा।

आयुक्त
नगर परिषद किशनगढ़

सभापति
नगर परिषद किशनगढ़

सत्य प्रतिलिपि
उप पंजीयक किशनगढ़

मूल प्रति से मिलान किया गया
वाचक
श्रोता

PRINCIPAL
Shri Ratanlal Kanwarlal Patni Girls' College
Kishangarh, Ajmer - 305801

Shri Ratanlal Kanwarlal Patni Girls' College
Secretary

उप पंजीयक
किशनगढ़

XIV. पट्टेदार राज्य सरकार द्वारा समय–2 पर एवं भविष्य में जारी किये जाने वाले आदेशों/ निर्देशों एवं कॉलेज शिक्षा निदेशालय द्वारा समय–2 पर एवं भविष्य में जारी किये जाने वाले आदेशों/ निर्देशों की पालना करने हेतु बाध्य होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप ऊपर सर्वप्रथम लिखित तारीख को पट्टाकर्ता के लिये और उसकी ओर से तथा उसके आदेश निर्देश से सभापति/ आयुक्त नगर परिषद किशनगढ़ ने और पट्टेदार ट्रस्टी श्री रतनलाल कंवर लाल पाटनी फाउण्डेशन मदनगंज किशनगढ़ ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

अनुसूचि जिसका ऊपर उल्लेख किया है

नगर पालिका बोर्ड/ परिषद/न्यास द्वारा/ राज्य सरकार स्वायत शासन विभाग के आदेश क्रमांक भूमि/ एफ 7 (ड)/(165)/डीएलबी/11/1335 दिनांक 16.03.12 एवं क्रमांक भूमि/ एफ 7 (ड)/(165)/डीएलबी/11/4012 दिनांक 13.06.12 संकल्प संख्या Nil तारीख Nil द्वारा मंजूर ---- ———— जिसका क्षेत्रफल राजस्व ग्राम मदनगंज के खसरा नम्बर 442 रकबा 12 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 443 रकबा 37 बीघा 07 बिस्वा कुल 37 बीघा 19 बिस्वा है और जिसकी सीमाएं संलग्न राजस्व ट्रेस मेप के अनुसार है।

और यह संलग्न नक्शे में दर्शाया गया है तथा इसकी सीमाएं लाल रंग स्याही से अंकित की गई है।

राजस्थान के राज्यपाल (पट्टाकर्ता) के लिये और उनकी ओर से तथा उनके आदेश और निर्देश से सभापति/ आयुक्त नगर परिषद किशनगढ़ ने –

1– ट्रस्टी श्री रतनलाल कंवर लाल पाटनी फाउण्डेशन मदनगंज किशनगढ़

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये।

2– ट्रस्टी श्री रतनलाल कंवर लाल पाटनी फाउण्डेशन मदनगंज किशनगढ़

(पट्टेदार) ने

श्री सुभाष अग्रवाल ... कॉलोनी, किशनगढ़ (अजमेर) रा.

श्री अभिषेक जैन, 23, विद्या नगर कॉलोनी किशनगढ़

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये।

Shri Ratanlal Kanwarlal Patni Foundation Kishangarh Secretary

आयुक्त
नगर परिषद किशनगढ़

सभापति
नगर परिषद किशनगढ़

उप पंजीयक, किशनगढ़

अन्य प्रतिलिपि
उप पंजीयक किशनगढ़

मूल प्रति के मिलान किया गया

मिलान ... मोहर

PRINCIPAL
Shri Ratanlal Kanwarlal Patni Girls' College
Kishangarh, Ajmer - 305801

धारा 54 के तहत प्रमाण–पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र
की मालियत रूपये 0
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 0 पर कमी पंजीयन शुल्क
रूपये 0 कुल रूपये 1200
जरिये रसीद संख्या 2012005026 दिनांक 14/06/2012
से जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रूपये 0
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2012006313) उप पंजीयक, KISHANGARH
(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

आज दिनांक 14/06/2012 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 604
के पृष्ठ संख्या 53 क्रम संख्या 2012004105 पर
पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1695
के पृष्ठ संख्या 12 से 24 पर
चस्पा किया गया।

(2012006313) उप पंजीयक, KISHANGARH
(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

PRINCIPAL
Shri Ratanlal Kanwarlal Patni Girls' College
Kishangarh, Ajmer - 305801

मूल प्रति से मिलान किया गया

वक्ता श्रोता

Shri Ratanlal Kanwarlal Patni Foundation
Secretary
Kishangarh

मौजा - कि.शनगढ़

तह. किशनगढ़

जिला - अजमेर

सम्वत् 2026

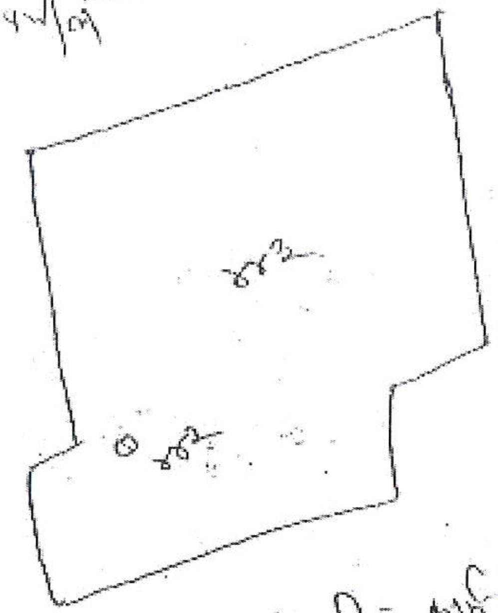

शैक्षणिक कार्य हेतु कि.शनगढ़

आयुक्त
नगर परिषद् किशनगढ़ (अजमेर)

सभापति
नगर परिषद, किशनगढ़ (अजमेर)

PRINCIPAL
Shri Ratanlal Kanwarlal Patni Girls' College
Kishangarh, Ajmer - 305801

सत्य प्रतिलिपि

मूल प्रति से मिलान किया गया

उप पंजीयक किशनगढ़

आज दिनांक 14/06/2012 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 604
के पृष्ठ संख्या [illegible] क्रम संख्या 2012004105 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1695
के पृष्ठ संख्या 12 से 24 पर
चस्पा किया गया।

(2012006313) उप पंजीयक, KISHANGARH
(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

सत्य प्रतिलिपि
उप पंजीयक किशनगढ़

मूल प्रति से मिलान किया गया

Shri Ratanlal Kanwarlal Patni Foundation
Secretary
Kishangarh

PRINCIPAL
Shri Ratanlal Kanwarlal Patni Girls' College
Kishangarh, Ajmer - 305801

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ जिला–अजमेर (राज)

क्रमांक: न.प.कि. / भूमि / 2012 / दिनांक

श्रीमान उपशासन सचिव महोदय
स्वायत्त शासन विभाग
जयपुर।

विषय :– श्री रतनलाल कंवर लाल पाटनी फाउण्डेशन को महिला महाविद्यालय निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत्।

प्रसंग :– श्रीमान् का पत्र क्रमांक भूमि एफ 7 (ड) / 165 / डीएलबी / 11 / 1385 दिनांक 16.03.12 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र के द्वारा श्री रतनलाल कंवर लाल पाटनी फाउण्डेशन को महिला महाविद्यालय हेतु खसरा नम्बर 442 रकबा 12 बिस्वा खसरा नम्बर 443 रकबा 37–7–00 बीघा कुल 37 बीघा 19 बिस्वा भूमि 99 वर्षीय लीज आधार पर नियमानुसार देय अरबन असेसमेन्ट पर निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

विभागीय पत्र की पालना में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक नपकि / भूमि / 12 / 313 दिनांक 16.03.12 के द्वारा 1 वर्षीय अरबन असेसमेन्ट की राशि व 10 वर्षीय एक मुश्त अरबन असेसमेन्ट की राशि जमा कराने हेतु प्रेषित किया गया एवं एक प्रति श्रीमान् की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित की गई।

ट्रस्टी श्री रतनलाल कंवर लाल पाटनी फाउण्डेशन द्वारा पत्र क्रमांक आरके / 00–619 / 3990 दिनांक 16.03.12 माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय को प्रेषित कर अरबन असेसमेन्ट की राशि माफ करने हेतु निवेदन किया है। (पत्र की प्रति संलग्न है।)

अतः प्रकरण से संबंधित जानकारी मय प्रति रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है।

भवदीय

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

द.
आयुक्त
नगर परिषद किशनगढ़

PRINCIPAL
Shri Ratanlal Kanwarlal Patni Girls' College
Kishangarh, Ajmer - 305801

Secretary
Shri Ratanlal Kanwarlal Patni Foundation
Kishangarh

W-619

क्रमांक: न.प.कि. / भूमि / 2012 / 33 दिनांक 24/3/12
प्रतिलिपि :–

1. ट्रस्टी श्री रतन लाल कंवर लाल पाटनी फाउण्डेशन मदनगंज को उनके पत्र क्रमांक आरके / 00–619 / 3990 दिनांक 16.03.12 के क्रम में सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर परिषद किशनगढ़

Shri Ratan Lal Kanwar Lal Patni Girls' College
Ajmer Road,Kishangarh(Ajmer)
Floor Plan For B.A.B.Ed / B.Sc.B.Ed
Arts Block First Floor Plan (L Shape)

S.No	Room No	Perticular	Size
1	98	Health and Physical Resources Centre	30'X25'
2	99	Girls Comman Room	30'X25'
3	112	Steps Class Room	30'X25'
4	111	Technical Room	10'.3"X12'.10"
5	110	Common Room	14'.7"X12'.10"
6	109	Faculty Room (cubicals)	15'X30'.4"
7	108	Class Room	32'X25'

Arts Block Second Floor Plan

8	113	Arts and Craft Centre	30'X25'
9	114	Curriculum Lab	30'X25'
10	115	Class Room	30'X25'
11	118	Class Room	30'X25'
12	119	Music Room	30'X25'
13	122	Class Room	30'X25'
14	125	Class Room	32'X25'
15	126	Faculty Room (cubicals)	15'X30'.4"
16	127	Common Room	14'.7"X12'.10"
17	128	Technical Room	10'.3"X12'.10"
18	129	Smart Class Room	25'X30'
19	124	ICT Centre	22'.10"X19'
20	123	Class Room(Group Class)	22'.10"X19'

Admin Block Ground Floor

21		Help Desk	40'.3"X18'
22	1	Principal Room	26'.10"X15.3"
23	5	conference Hall	28'.10X22'.4"
24	3	office	13'.7"X20'.4"
25		Strong Room	16'.7"X9'.2"
26	6	Record Room	12'.6"X26'.10"
27	7	IT Room	16'X8'.6"
28	8	Server Room	16'.3"X11'

PRINCIPAL
Shri Ratanlal Kanwarlal Patni Girls' College
Kishangarh, Ajmer - 305801

29	13	Establishmant Section	27'.3"X24'.1"
30	14,15,16,17	Dean Rooms	12'X14'.1o"
31	18	Vice Principal Room	12'X14'.1o"
32	19	management Room	18'.4"X15'

Admin Block First Floor

33	20	Directors Room	21'.10"X29'.9"
34	23	Multipurpose Hall	65'.3"X35'
35	24	Reading Hall	44".6"X29'.9"
36		Baggage Room	10'.10"Xio'.9"

Admin Block Second Floor

37	27	Central Library	62'.10"X73'.1"
38	26	Language Lab	19'.0'X22'.9"
39	25	Librarin Room	11'X7'
40	29	E - Library	15'.7"X19'.4"
41	30	Technical Room	10'.1"X10'

PRINCIPAL
Shri Ratanlal Kanwarlal Patni Girls' College
Kishangarh, Ajmer - 305801